अपराध और समाज–विरोधी व्यवहार

क्या आपको 999 के आगे के
अपने अधिकारों की जानकारी है?

यह पत्रक आपको बताता है कि अपराध और समाज–विरोधी व्यवहार के संबंध में आप पुलिस और दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।

Home Office

आपके अधिकार

www.direct.gov.uk/localcrime एक वैबसाइट है जो आपको आपके इलाके में पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सर्विसेज़ (criminal justice services – अपराधिक न्याय की सेवाओं) की जानकारी देती है और बताती है कि आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं ।

याद रखिये, इमरजैंसी की स्थिति में आपको हमेशा **999** नंबर डायल करना चाहिये। इमरजैंसी की हालत तब होती है :

- जब कोई अपराध हो रहा है
- जब कोई ऐसा व्यक्ति पास में है जो कि शायद अपराधी है, या
- जब कोई घायल है, उसे धमकाया जा रहा है, या वह खतरे में है।

अगर आप समाज–विरोधी व्यवहार या किसी अपराध की शिकायत करना चाहते हैं जो कि इमरजैंसी नहीं है, तो आपको अपने लोकल पुलिस फ़ोर्स (local police force) या काउंसिल ऐंटी–सोशल बिहेवियर टीम (anti-social behaviour team) से संपर्क करना चाहिये – आपके लिये उपयुक्त नंबरों के लिये हमारे पत्रक के पीछे देखिये फ़ाड़कर अलग करने वाला एक स्लिप ।

या, अगर आप बेनाम रहना चाहते हैं, तो आप क्राइमस्टॅापर्ज़ (Crimestoppers) नामक स्वतंत्र चैरिटी यानी परोपकारी संगठन से या तो **0800 555 111** नंबर मिलाकर या उनकी वैबसाइट **www.crimestoppers-uk.org** के ज़रिये उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ 24–सों घंटे, सप्ताह के 7–तों दिन जानकारी ली जाती है जिसमें क्रिस्मस डे भी शामिल है।

अगर आप अपने इलाके के अपराध के तथ्य और आँकड़े जानना चाहते हैं, तो इंटरनेट पर यहाँ जाइये : **www.direct.gov.uk/localcrime** और अपने इलाके का क्राइम मैप यानी अपराध का नक्शा देखने के लिये अपना पोस्ट कोड टाइप कीजिये।

आपकी भूमिका

अगर आपको कोई अपराध की घटना दिखती है, तो उसकी शिकायत करने में पुलिस को आपकी मदद की ज़रूरत हैं। पुलिस, लोकल अथॅारिटी और अन्य क्रिमिनल जस्टिस एजेंसियों को मदद देने के दूसरे तरीके भी हैं – मिसाल के लिये, नेबरहुड वॅाच (Neighbourhood Watch), टेनैंट्स (tenants') या रेज़िडैंट्स असोसिएशन (residents' association) के सदस्य बनकर या स्पेशल कांस्टेबल (special constable) या विक्टिम सपोर्ट (Victim Support) में वालंटीयर बनकर। अधिक जानकारी के लिये इंटरनेट पर यहाँ जाकर देखिये : **www.direct.gov.uk/localcrime**

यह पत्रक दूसरी भाषाओं और दूसरे प्रारूपों में मिल सकती है। ऑर्डर करने के लिये, यह नंबर डायल कीजिये **0870 241 4680*** या अपने लिये इसकी एक कॅापी डाउनलोड करने के लिये लेने इंटरनेट पर यहाँ जाइये : **www.direct.gov.uk/localcrime**

*इस नंबर पर स्टैंडर्ड बीटी लाइन पर कॅालों की दर 8 पैंस प्रति मिनट है। मोबाइल और दूसरे नेटवर्क के कॅालों के दामों में फ़र्क हो सकता है।

आप लोकल स्तर पर पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं?

आपकी लोकल पुलिस फ़ोर्स या दल ने पुलीसिंग प्लेज (Policing Pledge) नामक राष्ट्रीय मानकों का पालन करने का वादा किया है। वे वचनबद्ध हैं कि :

- वो आप से मान-मर्यादा और इज़्ज़त के साथ व्यवहार करेंगे और अपनी सेवाओं तक सबको बराबर पहुँच देंगे।
- आपको वो अपनी जानकारी देंगे और बतायेंगे कि आप उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं।
- नेबरहुड पुलिस टीम (Neighbourhood Policing Team) का 80% समय आपके मुहल्ले में परोक्ष रूप से काम करते हुए बीतेगा।
- 24 घंटे के अंदर आपकी उन समस्याओं का जवाब दे दिया जायेगा जो इमरजैंसी वाली नहीं हैं।
- 10 सेकैंड के अंदर इमरजैंसी वाले कॉलों का जवाब दे दिया जायेगा और यथासंभव जल्द से जल्द 15/20 मिनट के अंदर (शहरी/ग्रामीण)।
- जो इमरजैंसी वाले कॉल नहीं हैं, उनका शीघ्रता के साथ जवाब दिया जायेगा और अगर आप खतरे में हैं या अगर स्थानीय प्राथमिकता का कोई मामला है, तो 60 मिनट के अंदर जवाब दे दिया जायेगा। अगर उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है, तो वो 48 घंटे के अंदर आपसे मिलने का अपाइंटमेंट देंगे।
- हर महीने आपको अपने मुहल्ले में पुलीसिंग को प्रभावित करने और स्थानीय प्राथमिकताएँ तय करने का मौका मिलेगा।
- आपको आपके इलाके के क्राइम मैप उपलब्ध करायेंगे, हर महीने आपकी प्राथमिकताओं की ताज़ी जानकारी देंगे और आपको स्थानीय अपराध की सूचना देंगे औरे बतायेंगे कि वो उसके बारे में क्या कर रहे हैं।
- अगर आप अपराध के शिकार हैं, तो आपके साथ मिलकर तय करेंगे कि आप कितनी बार और कितने समय तक ताज़ी जानकारी चाहेंगे – यह कम से कम महनवारी होगा।
- अगर आप उनको बतायेंगे कि आप उनकी सेवा से खुश नहीं हैं, तो वो आपको 24 घंटों के अंदर जवाब देंगे और आपसे सीधे बात भी करेंगे।

समस्या सुलझाने के लिये आपकी लोकल पुलिस सबसे अच्छी स्थिति में है, पर आप अपनी पुलिस अथॉरिटी (जो कि लोकल पुलिस की जवाबदेही के लिये ज़िम्मेदारी है), या इंडिपैंडेंट पुलिस कम्पलेंट्स कमीशन (Independent Police Complaints Commission) से भी शिकायत कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ देखिये : www.direct.gov.uk/localcrime

समाज-विरोधी व्यवहार से निपटने के लिये कौन ज़िम्मेदार है?

अगर आप समाज–विरोधी व्यवहार के कारण पीड़ित हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी काउंसिल और पुलिस आपकी समस्या को गंभीरता से लेगी, ज़रूरी कदम उठायेंगी और उसके बाद आपको बतायेंगी कि उन्होंने क्या किया है।

आपके इलाके में :

- आपकी काउंसिल में एक खास व्यक्ति होगा या एक विशेष नंबर होगा जिससे संपर्क करके आप समाज–विरोधी व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं।
- आप अपनी नेबिरहुड पुलिसिंग टीम से भी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं।
- आप अगर किसी हाउसिंग असोसिएशन या लोकल अथॉरिटी के किरायेदार या लीज़होल्डर हैं, तो अपने मकानमालिक से संपर्क कीजिये क्योंकि उनके पास भी समस्या सुलझाने के अधिकार होते हैं।

आपकी लोकल अथॉरिटी, सोशल लैंडलॉर्ड (मकानमालिक) और लोकल पुलिस के पास समाज–विरोधी व्यवहार निपटाने के बहुत सारे अधिकार होते हैं। अधिक जानकारी के लिये यहाँ देखिये : www.direct.gov.uk/localcrime

- शोर करने वाले पड़ोसियों या डर पैदा करने वाले इधर–उधर मंडराने वाले समूहों जैसे समाज–विरोधी व्यवहार के बारे में क्या किया जा सकता है।
- समाज–विरोधी व्यवहार से निपटने के आपकी लोकल काउंसिल द्वारा इस्तेमाल किये जा सकने वाले अधिकार, जैसे कि एसबो (ASBOs), पेरैंटिंग ऑर्डर्ज़ (parenting orders) और बाहर निकाल देना।
- समस्या सुलझाने में ये अधिकार इस्तेमाल करने का आपकी काउंसिल और लोकल पुलिस के रिकॉर्ड।।

समाज–विरोधी व्यवहार की शिकायत करने के बाद, अगर आपको लगता है कि कदम नहीं लिये गये हैं, तो आप अपनी नेबरहुड पुलीसिंग टीम से(देखिये पिछले पन्ने का विभाग), या उनकी शिकायत की प्रणाली इस्तेमाल करके काउंसिल से, अपने लोकल काउंसिलर से, और अंत में लोकल गवर्मेंट ऑमबुड्ज़मैन (Local Government Ombudsman) से शिकायत कर सकते हैं।

अपराधी सिद्ध किये गये लोगों का क्या होता है?

जब अपराध की घटना होती है, आप जानना चाहते हैं कि अपराध के लिये ज़िम्मेदार व्यक्ति पकड़ा जाये और यह भी कि उसे सज़ा क्या मिली है। अदालतें आम जनता की ओर से निर्णय लेती हैं। हर अदालत लोगों के लिये खुली होता है और उसकी कार्यवाही और निर्णय पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं यानी (यदि जज (न्यायाधीश) या मेजिस्ट्रेट ने पाबंदी नहीं लगायी है या मामला यूथ कोर्ट में नहीं है), तो लोग उनकी जानकारी ले सकते हैं।

- अपने लोकल कोर्ट (अदालत) के बारे में अधिक जानकारी के लिये यहाँ देखिये : **www.direct.gov.uk/localcrime** आप क्षेत्र, कोर्ट के प्रकार या आपके लोकल कोर्ट के नाम से, जानकारी की तलाश कर सकते हैं।
- आपके स्थानीय इलाके में अपराधों के विवरण और जिन अपराधियों को पकड़ा और सज़ा दी गयी, की जानकारी के लिये अपनी लोकल नेबरहुड टीम से पूछिये।
- आप अपनी लोकल पुलिस फ़ोर्स और नेबरहुड पुलीसिंग टीम की वैबसाइट के पन्नों को भी जाँच सकते हैं।

प्रोबेशन सर्विस (Probation Service) द्वारा सांचालित कम्यूनिटी पेबैक (Community Payback) के ज़रिये, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि आप अपराधियों को किस प्रकार की समाज सेवा करवाने के पक्ष में हैं। यह वह काम है जिसके ज़रिये अपराधी समाज के भले के लिये कुछ काम करते हैं, जैसे कि ग्रैफ़ीटी को साफ़ करना। वे नारंगी जैकेट भी पहनते हैं ताकि आप देख सकें कि वो अपने अपराधों की सज़ा काट रहे हैं।

- आप अपनी लोकल प्रोबेशन की वैबसाइट के ज़रिये, कम्यूनिटी पेबैक में अपराधियों के लिये कार्यों की सिफ़ारिश कर सकते हैं – प्रोबेशन को आपको शीघ्र जवाब देना चाहिये।
- हाल ही में पूरे किये गये कम्यूनिटी पेबैक योजनाओं की जानकारी आपको मिल सकती है।

पता करने के लिये यहाँ देखिये : **www.direct.gov.uk/localcrime**

अपराध के शिकार लोग – आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?

अगर आप अपराध के शिकार बने हैं, तो आपका अधिकार है कि आप कुछ विशेष स्तर की सेवा पायें, जिनमें से बहुत सारे स्तर, *कोड ऑफ़ प्रैक्टिस फ़ॉर विक्टिम्ज़ ऑफ़ क्राइम* (*Code of Practice for Victims of Crime*) में प्रस्तुत हैं।

- आप विक्टिम सपोर्ट से सीधा संपर्क कर सकते हैं या अगर आप किसी अपराध की शिकायत करते हैं, तो पुलिस उनको आपका संदर्भ दे सकती है। आपको सहारा देने के लिये, विक्टिम सपोर्ट आपसे 48 घंटे के अंदर संपर्क करेगी।
- आप पुलिस को एक विक्टिम पर्सनल स्टेटमैंट (Victim Personal Statement) दे सकते हैं जो आप पर अपराध के प्रभाव का एक बयान होगा जिसपर अदालत या दूसरे लोग विचार कर सकते हैं।
- आपका मामला खतम होने तक, पुलिस आपको हर महीने ताज़ी सूचना देती रहेगी – जिसमें किसी का हिरासत में ले लिया जाना, अपराध का अरोप लगना, बेल पाना और अपराध सिद्ध होना भी शामिल होगा।
- पाँच दिनों के अंदर पुलिस आपको बता देगी कि जिसपर अपराध का शक किया जा रहा है, उसपर उन्होंने आरोप लगाने का निर्णय लिया है या नहीं।
- अगर आपका मामला अदालत के सामने जाता है, तो आपको सूचित किया जायेगा और आपको यह भी बताया जायेगा कि आपको गवाही देने की ज़रूरत है या नहीं। लोकल विटनैस कैअर यूनिट (Witness Care Unit) से अदालत आने के बारे में आपको सचमुच काम आने वाली मदद मिलेगी।
- वो आपको आपके मामले का नतीजा 24 घंटे के अंदर बता देंगे, मिसाल के लिये, अगर प्रतिवादी को दोषी साबित कर दिया जाता है।
- कोर्ट में प्रतीक्षा करने के लिये एक विशेष स्थान मिलेगा (या दूसरा कोई प्रबंध किया जायेगा) जो कि प्रतिवादी के परिवार और दोस्तों से अलग होगा।
- अगर आप हिंसा वाले अपराध के शिकार हुए हैं, तो आपको क्रिमिनल इंजरीज़ कॉम्पैंसेशन अथॉरिटी (Criminal Injuries Compensation Authority) से मुआवज़ा पाने का अधिकार हो सकता है।

विक्टिम्ज़ कोड (Victims' Code) के अंतर्गत अगर सेवा देने वाले किसी भी संगठन ने अपने उत्तरदायित्व नहीं निभाये हैं, तो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप नाखुश रहते हैं, तो अपने एम पी के ज़रिये आप पार्लामैंटरी ऑमबुड्ज़मैन (Parliamentary Ombudsman) से शिकायत कर सकते हैं।

अपराध के मामलों पर मुकद्दमा चलाने का उत्तदायित्व क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस का है। उसके पास कोर क्वॉलिटी स्टैंडर्डज़ (Core Quality Standards) नाम के मानक हैं जिनकी आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये यहाँ देखिये : www.direct.gov.uk/localcrime

आपके इलाके के संपर्क

आपकी नेबिरहुड पुलीसिंग टीम
(Neighbourhood Policing Team)
के बारे में पता करने के लिये यहाँ जाइये : www.direct.gov.uk/localcrime
और अपना पोस्टकोड टाइप कीजिये

समाज-विरोधी व्यवकार या अपराध जो इमरजैंसी नहीं है की शिकायत करने के लिये
अपनी लोकल पुलिस का नॉन–इमरजैंसी नंबर पता करने के लिये
यहाँ जाइये : www.direct.gov.uk/localcrime

आपकी लोकल ऐंटी-सोशल बिहेवियर टीम
(local anti-social behaviour team) से संपर्क के लिये
यहाँ जाइये : www.direct.gov.uk/localcrime
और अपना पोस्टकोड टाइप कीजिये

कम्यूनिटी पेबैक (Community Payback)
के लिये प्रोजैक्ट यानी योजनाओं का चुनाव करने के लिये
यहाँ जाइये : www.direct.gov.uk/localcrime
और अपना पोस्टकोड टाइप कीजिये

नैशनल विक्टिम सपोर्ट हैल्पलाइन
(National Victim Support helpline)
0845 3030 900
अपनी लोकल विक्टिम सपोर्ट सर्विस पर अधिक जानकारी के लिये
यहाँ जाइये : www.direct.gov.uk/localcrime
और अपना पोस्टकोड टाइप कीजिये

अगर आपके पास इंटरनैट से संपर्क करने की सुविधा नहीं है, तो कृपया होम ऑफ़िस (Home Office) की पब्लिक इंक्वायरी लाइन का नंबर 020 7035 4848* डायल कीजिये ताकि वो आपको आपके क्षेत्र की सेवाओं के विवरण दे सकें

** स्टैंडर्ड रेट पर दाम वसूल होंगे।*
यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मिल सकती है।

फाड़कर अलग कर लीजिये और किसी सुरक्षित जगह पर संभाल कर रख दीजिये

code: JSJD71

© Crown copyright 2009

अपराध और समाज–विरोधी व्यवहार

क्या आपको 999 के आगे के अपने अधिकारों की जानकारी है?

यह पत्रक आपको बताता है कि अपराध और समाज–विरोधी व्यवहार के संबंध में आप पुलिस और दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।

Home Office

recycle
When you have finished with this please recycle it
यह पत्रक 50% रीसाइकिल्ड कागज़ पर छापा गया है